

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-10-(भूमि स्थानांतरण)-01/2025 104 पटना, दिनांक- 17/11/20

'कार्यालय आदेश'

आर ब्लॉक, पटना में ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थल पर अवस्थित आवासों में आवासित निम्नांकित कर्मियों का आवास निम्नरूपेण परिवर्तित किया जाता है :-

क्र0	कर्मि का नाम/पदनाम	विभाग	पूर्व आवंटित आवास	नव आवंटित आवास (परिवर्तित आवास)
1.	श्री केदार सहनी, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान परिषद्	NCQ, आर ब्लॉक	A4/312, गर्दनीबाग
2.	श्री रामाशंकर पाण्डेय, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	भवन निर्माण विभाग	A1, आर ब्लॉक	C/23, एम0ओ0 सेट पुनाईचक

2. उपर्युक्त कर्मियों को निदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर आर ब्लॉक, पटना अवस्थित आवास को रिक्त किया जाए।
3. विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ए-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹275	₹564	₹839

उपर्युक्त मासिक चार्ज संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह वेतन से कटौती की जायेगी।

4. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-10-(भूमि स्थानांतरण)-01/2025 6669 पटना, दिनांक:- 17/11/20

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल सं0-03/ विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।